

शिक्षाचार्य

एन.टी.ए. सीयूईटी-पीजी 2025  
प्रवेश परीक्षा (ACQP02) के लिए निर्देशिका

**Master of Education**

**NTA CUET-PG 2025**  
**Guidelines for Entrance Test - ACQP02**

[updated on 15.01.2025]



**केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय**

(संसद् के अधिनियम द्वारा संस्थापित)

(NAAC द्वारा 'A++' श्रेणी में प्रत्यायित)

56-57, सांस्थानिकक्षेत्र, जनकपुरी, नवदेहली – 110058

फोन न. 011-28521258, जालपुट - [www.sanskrit.nic.in](http://www.sanskrit.nic.in), ईमेल – [et2024@csu.co.in](mailto:et2024@csu.co.in)

## विषयानुक्रमणिका

| क्र.सं. | विषय  | पृ.सं. |
|---------|---|--------|
| 1.      | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय                                | 3      |
| 2.      | शिक्षाचार्य (एम्.एड्.) में प्रवेश के लिए योग्यता                                  | 3      |
| 3.      | शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थान संख्या                                     | 4      |
| 4.      | आरक्षण  | 4      |
| 5.      | आरक्षित श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी                   | 5      |
| 6.      | शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा-2025 हेतु समयसारिणी                                    | 5      |
| 7.      | परीक्षा केन्द्र   | 5      |
| 8.      | अत्यावश्यक सूचना  | 5      |
| 9.      | विश्वविद्यालय-परिसरों में अध्ययनार्थ काउन्सेलिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए निर्देश | 6      |
| 10.     | ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व उल्लेखनीय बिन्दु                                       | 6      |
| 11.     | परीक्षा की अवधि एवं परीक्षा सम्बद्ध सूचना   | 6      |
| 12.     | प्रश्नपत्र एवं परीक्षण की रूपरेखा   | 7      |
| 13.     | मूल्याङ्कन विधि   | 7      |
| 14.     | परीक्षा परिणाम सम्बद्ध विशेष सूचना  | 7      |
| 15.     | शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा - 2025 का पाठ्यक्रम                                    | 8      |
| 16.     | प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उदाहरण                              | 8      |

## शिक्षाचार्य (एम्.एड.) प्रवेशपरीक्षा – 2025

### 1. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

संस्कृत आयोग 1956 की अनुशंसाओं के अनुसार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की संस्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण देश में संस्कृत शिक्षा, शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रचार करना और संरक्षित करना है। यह पूरी तरह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को 7 मई, 2002 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। तत्कालीन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 (2020 की संख्या 5) के अन्तर्गत संसद द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के रूप में पारित किया गया है। महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदनोपरांत 30 अप्रैल, 2020 से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के रूप में कार्य आरम्भ किया।

यह विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ का सदस्य है तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा 'ए' श्रेणी प्राप्त है। देश के विभिन्न भागों में स्थित इसके परिसरों में प्राक्शास्त्री से लेकर आचार्य/विद्यावारिधि (Ph.D.) पर्यन्त अध्ययन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके तीन परिसरों में द्विवर्षीय शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम भी सञ्चालित है जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त है। **शैक्षिक सत्र 2025-26 में शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ अखिल भारतीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा सञ्चालित नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) के माध्यम से प्रश्नपत्र कोड ACQP02 के साथ शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है।**

### 2. शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा 2025 के लिये योग्यता

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा शिक्षाशास्त्री अथवा बी.एड. (संस्कृतशिक्षण विषय सहित) में कम से कम 50 प्रतिशत अंक अवश्य होने चाहिए।
- जिन प्रवेशार्थियों की शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) संस्कृत विषय रहित है, परन्तु यदि ऐसे प्रवेशार्थियों के स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर (बी.ए./एम.ए.) पर संस्कृत विषय है, ऐसे प्रवेशार्थी भी शिक्षाचार्य में प्रवेश के लिए अर्ह हैं।
- B.El.Ed. (with 50% marks) के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत विषय के छात्र प्रवेशार्थ अर्ह हैं।
- D.El.Ed. (with 50% marks) के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर (with 50% marks) पर संस्कृत विषय के छात्र प्रवेशार्थ अर्ह हैं।
- ऐसे प्रवेशार्थियों द्वारा संस्कृत माध्यम से अध्ययन एवं परीक्षा लेखन की क्षमता विषयक शपथ पत्र जमा कराना होगा।
- अर्हता परीक्षा में प्रविष्ट छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।
- केन्द्र शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य अप्रगतजाति तथा अन्यथा सक्षम वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रवेश योग्यता में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

प्रवेश के समय आवेदन के साथ अर्हता-परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण संलग्न होना चाहिए। यदि परीक्षा फल घोषित न हुआ हो तो प्रवेश के समय साक्षात् अथवा गोपनीय परिणाम से सम्बन्धित प्रमाणपत्र जमा करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा अन्यथा प्रवेश की अर्हता निरस्त हो जायेगी।

## चयन विधि

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप एन.टी.ए. द्वारा प्रश्नपत्र कोड **ACQP02** के साथ शिक्षाशास्त्र प्रवेश परीक्षा के लिए **सीयूईटी-पीजी 2025** का आयोजन किया जा रहा है। प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने से पूर्व सभी अभ्यर्थी एन.टी.ए. द्वारा जारी किये गये सभी निर्देशों को अच्छे पढ़ लें और प्रत्येक स्तर पर सावधानी से समस्त जानकारियों को दर्ज करें।

शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी छात्रों को निर्धारित ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया के अनुरूप आवेदन करना होगा। आवेदन के उपरान्त एन.टी.ए. द्वारा निर्धारित विभिन्न केन्द्रों पर आवेदकों को कम्प्यूटर-आधारित-परीक्षण (CBT) के माध्यम से परीक्षा देनी होगी। चयन मापदण्डों के अनुरूप प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों पुनः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के विभिन्न परिसरों में अध्ययनार्थ **काउन्सेलिंग** के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

**काउन्सेलिंग** हेतु आवेदन करते समय प्रत्येक छात्र को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्दिष्ट परिसरों में प्रवेश के लिए अधिकाधिक वरीयता क्रम से अपनी पसन्द का उल्लेख करना होगा, जिस वरीयता क्रम में वह परिसर में प्रवेश लेना चाहता है। इच्छित परिसर में स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में वरीयता क्रमानुसार किसी एक अन्य परिसर में प्रवेश दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर वरीयता सूची बनाई जाएगी। सफल छात्रों की जानकारी तदनुसार वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

### 3. शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थान संख्या

विश्वविद्यालय में शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध स्थान संख्या 165 (एक सौ पैसठ) है।

| क्र. | परिसर नाम  | उपलब्ध स्थान |
|------|--|--------------|
| 1.   | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर, जयपुर      | 55           |
| 2.   | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, भोपाल परिसर, भोपाल      | 55           |
| 3.   | केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री सदाशिव परिसर, पुरी | 55           |

**नोट- संबद्ध परिसर में प्रवेश देना अथवा निरस्त करना विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के अधीन है।**

### 4. आरक्षण

भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था निम्नलिखित है -

- अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15%
- अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7.5%
- अन्य-पिछड़ा वर्ग के लिए (OBC) (केन्द्र सरकार की सूची के अनुसार) 27%
- अन्यथा सक्षम (दिव्यांग)/प्रज्ञाचक्षु के लिए 5%
- युद्ध/सैनिक संघर्ष में घायल/मृत व्यक्तियों के बच्चों/विधवाओं के लिए (प्रमाणपत्र में हत/ आहत अवस्था का स्पष्ट उल्लेख अपेक्षित है।) 3%
- खिलाड़ियों के लिए (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग ग्रहण) 2%
- आर्थिक रूप से कमजोर के लिए अतिरिक्त आरक्षण 10%
- अन्तर्राष्ट्रीय, पूर्वोत्तर राज्य (NER), जम्मू कश्मीर, एकल-बालिकाओं के लिए आरक्षण 5%

उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदक परिसर में प्रवेश के समय अपने आरक्षित श्रेणी विधिवत् विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। विश्वविद्यालय के परिसरों के लिए आरक्षण निर्धारण केन्द्रीय स्तर पर ही होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थान अपरिवर्तनीय रहेंगे। इतर वर्ग के आरक्षित स्थान इस नियम में नहीं आयेंगे।

#### 5. आरक्षित श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी

- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य अग्रगत जाति के लिए - जिला मेजिस्ट्रेट/सबडिविजिनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/एम.आर. ओ.।
- दिव्यांग (अन्यथासक्षम) प्रत्याशियों के लिए - मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय। (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता पर ही विचार किया जायेगा।)
- सशस्त्र सैनिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए - सचिव थल नौसेना/वायुसेना बोर्ड।

#### 6. शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा-2025 हेतु समयसारिणी

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षाचार्य में अध्ययनार्थियों के लिए एन.टी.ए. सीयूईटी-पीजी 2025 के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में निर्धारित केन्द्रों पर द्विवर्षीय शिक्षाचार्य (बी.एड्.) पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। प्रवेश परीक्षा की दिनांक एवं समय की घोषणा NTA द्वारा होना है। योग्यता रखने वाले छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए अधोलिखित वेबसाइट पर निर्धारित अवधि में ऑनलाईन-आवेदन कर सकते हैं -

<https://pgcuet.samarth.ac.in/index.php>

#### प्रमुख दिनाङ्क

|  |   |
|--|---|
| प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया | 02 जनवरी 2025 से 01 फरवरी 2025 (11.50 PM) |
| पूर्णतया आवेदित आवेदन के लिए शुल्क समर्पण    | 02 फरवरी 2025 (11.50 PM)                  |
| आवेदित आवेदन का संशोधन                       | 03 फरवरी 2025 से 05 फरवरी 2025 (11.50 PM) |
| प्रवेशपत्र प्राप्ति                          | परीक्षा तिथि से चार दिन पूर्व             |
| परीक्षा दिनाङ्क                              | 13 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025            |

अभ्यर्थी कृपया आवेदन एवं प्रवेश-प्रक्रिया से सम्बद्ध समस्त महत्वपूर्ण दिनांकों के विषय में एन.टी.ए. द्वारा जारी की जानी सूचनाओं को यथासमय एन.टी.ए. की वेबसाइट के माध्यम से जागरुक रहें। आवेदन एवं प्रवेश प्रक्रिया में विषय में एन.टी.ए. का ही एकाधिकार है।

#### 7. परीक्षा केन्द्र

एन.टी.ए. द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र का चयन छात्र द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया जाएगा। केन्द्र निर्धारण आदि से सम्बन्ध में एन.टी.ए. द्वारा प्रकाशित नियमावली का सावधानी से अवलोकन कर ले। अभ्यर्थी को चुने गये केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी।

#### 8. अत्यावश्यक सूचना

- आवेदन प्रक्रिया से पूर्व एन.टी.ए. द्वारा प्रकाशित निर्देशिका तथा इस निर्देशिका को ध्यान से पढ़ें।

- सीयूईटी-पीजी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन ध्यान से भरें । गलत एवं त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण ऑनलाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना का सत्यापन परीक्षा और प्रवेश के समय होगा।
- किसी भी प्रकार की सूचना प्रमाणित न होने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा से वंचित करना/ प्रवेश निरस्त करना भी इसमें शामिल है।
- एन.टी.ए. द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

#### 9. विश्वविद्यालय-परिसरों में अध्ययनार्थ काउन्सेलिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए निर्देश

प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिसर का चयन करने के लिए आवेदन करेंगे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एतदर्थ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश के लिए ऑनलाईन काउन्सेलिंग आवेदन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्देशों के अनुरूप से कर सकेंगे। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण तथा निश्चित तिथि के बाद किए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे । शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही वरीयता क्रम से शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश पा सकेंगे। यह वरीयतासूची केवल वर्ष 2025 के लिए ही मान्य होगी । प्रवेशोपरान्त स्थानान्तरण की अनुमति नहीं होगी तथा प्रवेशोपरान्त शुल्क भी नहीं लौटाया जाएगा । इस निर्देशिका को ध्यान से पढ़ें और आवेदन तभी करें, जब आप इस के लिए अपने को अर्ह पायें ।

#### परिसर में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया के समय ध्यान रखें कि -

- एन.टी.ए. द्वारा निश्चित तिथि के बाद किए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
- शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही वरीयता क्रम से शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में निर्धारित परिसर में प्रवेश पा सकेंगे।
- यह उत्तीर्णता एवं निर्धारित वरीयता सूची केवल शैक्षिक सत्र 2025 के लिए ही मान्य होगी।

#### 10. ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उल्लेखनीय बिन्दु

- केवल अर्ह अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता के अभाव में भी शिक्षाचार्य प्रवेशपरीक्षा में सम्मिलित हो जाता है तो वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसके परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा।
- शिक्षाचार्य का पाठ्यक्रम एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक परिसर में निर्धारित स्थान के अनुसार वरीयता क्रम से ही प्रवेश दिया जायेगा।
- प्रवेशार्हता की जांच, क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय, आरक्षणों का निश्चय इत्यादि निर्णय विश्वविद्यालय के अधीन हैं।
- प्रवेश के विषय में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय ही अन्तिम होगा।
- न्यायिक विषयों में दिल्ली उच्च न्यायालय का ही क्षेत्रधिकार होगा।
- पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

#### 11. परीक्षा की अवधि एवं परीक्षा सम्बद्ध सूचना

- परीक्षा हेतु एन.टी.ए. की नियमावली अच्छे से समझ लें।
- परीक्षा की अवधि 105 मिनट है, जो एक निर्धारित स्लोट (Slot) के रूप में निर्धारित की जाएगी।

- शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी कम्प्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT) के माध्यम से परीक्षा देंगे। यदि सम्भव हो तो कम्प्यूटर परिचालन का अभ्यास अवश्य कर लें।
- सभी 75 बहुविकल्पीय प्रश्न संस्कृत माध्यम से होंगे।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, और गलत उत्तर देने पर 1 अंक कम किया जाएगा (Minus Marking)।
- प्रवेश परीक्षा के समय परीक्षा कक्ष में प्रवेशपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में अवैध साधन प्रयोग करने वाले अथवा किसी से सहायता लेने या देने वाले या अनुशासन भंग करने वाले परीक्षार्थी को केन्द्राध्यक्ष परीक्षा से निष्कासित कर सकते हैं, यथाविधि दण्ड भी दिया जा सकता है।
- यदि किसी के छायाचित्र में विषमता पायी जाती है और सन्देह होता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा से निलम्बन/कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।
- परीक्षा भवन में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्मार्ट घड़ी इत्यादि सर्वथा वर्जित है।

## 12. प्रश्नपत्र एवं परीक्षण की रूपरेखा

सङ्गणक-आधारित शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा बहुविकल्पात्मक प्रश्नपत्र के द्वारा होगी। इस प्रश्नपत्र में कुल 75 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्नपत्र में भाग होंगे –

- **भाग 1 – संस्कृत भाषा दक्षता (Proficiency in Sanskrit Language)** (25 बहुविकल्पीय प्रश्न)
- **भाग 2 – संस्कृत शिक्षण (Teaching of Sanskrit)** (25 बहुविकल्पीय प्रश्न)
- **भाग 3 – शिक्षामनोविज्ञान (Educational Psychology)** (25 बहुविकल्पीय प्रश्न)

प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें केवल एक ही समुचित उत्तर होगा। केवल एक सही उत्तर को चुनकर तथा सङ्गणक की स्क्रीन पर दर्ज करना होगा।

## 13. मूल्याङ्कन विधि

शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम का माध्यम संस्कृत है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए अधोलिखित निर्देश ध्यातव्य हैं-

- तीनों खण्डों के कुल प्राप्ताङ्कों की समान रूप से गणना करते हुए उत्तीर्णता सूची निर्धारित की जाएगी।
- सी.यू.ई.टी.-पी.जी. 2025 प्रवेश परीक्षा के प्राप्ताङ्कों के आधार पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा निर्मित वरीयता सूची के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित होगा।
- शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ **अर्हता हेतु सूची** अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्राप्ताङ्कों की वरीयता एवं अन्य सम्बद्ध नियमों के अनुरूप निर्मित की जाएगी।

## 14. परीक्षा परिणाम सम्बद्ध विशेष सूचना

- प्रवेश परीक्षा के परिणाम की वरीयता सूची अखिल भारतीय स्तर पर होगी।
- विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- प्रवेश के बाद एक परिसर से दूसरे परिसर में स्थानान्तरण नहीं होगा।

15. शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा - 2025 का पाठ्यक्रम  
प्रवेश परीक्षा कूटसंख्या - ACQP02

**पाठ्यक्रम (75 Questions)**

**SECTION - 1 संस्कृतभाषादक्षता (Proficiency in Sanskrit Language) [25 Questions]**

माहेश्वरसूत्राणि प्रत्याहारनिर्माणञ्च, सन्धिः, समासप्रक्रिया, कारकाणि, उपपदविभक्तयः, लकारप्रयोगः, प्रक्रियाः णिच्, सन्, कृत्प्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाः - टाप्, डीप्, डीष्।

**SECTION - 2 संस्कृतशिक्षणम् (Teaching of Sanskrit) [25 Questions]**

संस्कृतशिक्षणम्, विभिन्नाः उपागमाः, पाठ्यपुस्तकसम्प्रत्ययः, शिक्षणपद्धतयः उद्देश्यम्, सोपानानि, श्रव्यदृश्योपकरणानि, पाठ्यसहगामिक्रियाः, पाठयोजनासोपानानि

**SECTION - 3 – शिक्षामनोविज्ञानम् (Educational Psychology) [25 Questions]**

मनोविज्ञानपरिभाषा, मनोविज्ञानसम्प्रदायाः, बालानाम् अवस्थागतविशेषताः, अधिगमसंप्रत्ययः विशेषताश्च, अभिप्रेरणा विशेषताश्च, बुद्धिः सिद्धान्ताश्च, व्यक्तित्वस्यार्थः, प्रकृतिः, मापनम्, मानसिकस्वास्थ्यम्, विशिष्टबालकाः, सांख्यिकी।

16. प्रवेशपरीक्षार्थं पृष्ठव्यप्रश्नानाम् उदाहरणानि

**SECTION - 1 संस्कृतभाषादक्षता**

1. 'विद्यावान्' अस्मिन् पदे अयं प्रत्ययः अस्ति -

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1. वतुप् | 2. इमतुप् |
| 3. मतुप् | 4. वति    |
- उत्तरम् - वतुप्

2. 'द्वित्राः' अत्र समासः अस्ति -

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. बहुव्रीहिः | 2. तत्पुरुषः |
| 3. द्विगुः    | 4. द्वन्द्वः |
- उत्तरम् - बहुव्रीहिः

**SECTION - 2 संस्कृतशिक्षणम्**

3. व्याकरणशिक्षणाय अयं विधिः उपयुक्तः -

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. व्याख्याविधिः   | 2. दण्डान्वयः |
| 3. आगमन-निगमनविधिः | 4. खण्डान्वयः |
- उत्तरम् - आगमन-निगमनविधिः

4. अन्वयविधेः वर्णनं प्राप्यते -

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. अन्वयप्रबोधे | 2. अन्वयदीपिकायाम् |
| 3. अन्वयप्रकाशे | 4. अन्वयशास्त्रे   |
- उत्तरम् - अन्वयप्रबोधे



### SECTION – 3 – शिक्षामनोविज्ञानम्

5. अधिगमदिशा व्यवहारवादी अयं नास्ति -

- |            |                  |
|------------|------------------|
| 1. स्किनर् | 2. थोर्नडाइक्    |
| 3. पॉवलव्  | 4. पियाजे        |
|            | उत्तरम् - पियाजे |

7. अधिगमे प्रबलनसिद्धान्तस्य प्रतिपादकोऽयं विद्यते -

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| 1. स्किनर् | 2. थोर्नडाइक्     |
| 3. पॉवलव्  | 4. पियाजे         |
|            | उत्तरम् - स्किनर् |

उपर्युक्त मार्गदर्शिका में सभी प्रकार से परिवर्तन एवं संशोधन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन है।